

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2415
उत्तर देने की तारीख 15.12.2025

असम में कला संस्कृति विकास योजना

2415. श्री गौरव गोगोई :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेषकर असम में कुल कितने लाभार्थी कवर किए गए हैं;
- (ख) इस योजना के अंतर्गत विशेषकर, असम में सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों, सांस्कृतिक संगठनों और विशिष्ट कलाकारों की संख्या कितनी है;
- (ग) केएसवीवाई के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान, विशेषकर असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए आवंटित की गई और वितरित की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा विशेषकर, असम में ग्रामीण और जमीनी स्तर के सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने, निधि के समय पर जारी होने और योजना की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय द्वारा कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) कार्यान्वित की जाती है जिसके अंतर्गत असम राज्य सहित पूरे देश में मंच कलाओं में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केएसवीवाई के विभिन्न घटकों/उप-घटकों के अंतर्गत संवितरित/प्राधिकृत राशि सहित लाभार्थियों (गैर-सरकारी संगठन, सांस्कृतिक संगठन और व्यक्तिगत कलाकार) की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।
- (ग): कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई), केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है और निधियों के राज्य-वार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विगत पांच वित्तीय वर्षों और

वर्तमान वर्ष के दौरान केएसवीवाई के अंतर्गत आवंटित और संवितरित कुल निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधियां (करोड़ रुपए में)	संवितरित धनराशि (करोड़ रुपए में)
2020-21	139.77	122.40
2021-22	177.30	156.46
2022-23	214.32	213.76
2023-24	218.65	218.36
2024-25	207.24	201.67
2025-26	198.50	168.91 (10.12.2025 तक)

(घ): संस्कृति मंत्रालय अपनी स्कीमों की पहुंच को विस्तारित करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहा है ताकि पूरे देश से बड़ी संख्या में सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों जिनमें असम के ग्रामीण और जमीनी स्तर के सांस्कृतिक कला पेशेवर भी शामिल हैं, को सहायता प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य से स्कीम के दिशानिर्देशों और आवेदन पत्रों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और समाचारपत्रों, मंत्रालय और संबंधित नोडल अभिकरणों की आधिकारिक वेबसाइट तथा सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार भी किया जाता है।

अनुलग्नक

'असम में कला संस्कृति विकास योजना' के संबंध में दिनांक 15 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2415 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (10.12.2025 तक)	
		संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि
1	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.22
2	आंध्र प्रदेश	2	4.18	2	5.52	6	16.42	16	40.38	12	35.07	8	37.28
3	अरुणाचल प्रदेश	1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	असम	7	53.4	24	227.1	37	214.5	54	277.54	23	263.25	36	236.52
5	बिहार	33	181.6	30	190.8	64	363.8	158	697.37	50	347.56	91	602.41
6	चंडीगढ़	1	14.16	1	14.16	5	49.2	10	69.96	7	91.65	4	18.10
7	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	9	33.52	2	13.12	1	3.1
8	दिल्ली	54	439.6	63	535.1	98	793.3	161	1065.1	87	823.77	76	597.52
9	गुजरात	8	44.96	5	29.16	4	27.84	13	71.42	11	48.28	7	33.02
10	हरियाणा	4	21.94	4	30.84	24	93.06	23	124.2	15	138.16	13	63.36
11	हिमाचल प्रदेश	1	9.84	4	48.06	4	51.12	5	55.28	6	90.95	3	32.0
12	जम्मू और कश्मीर	9	59.58	7	51.48	15	120.8	37	118.2	27	215.66	23	131.26
13	झारखंड	1	2.64	2	21.54	13	69.18	18	100.64	13	47.65	11	90.0
14	कर्नाटक	47	291.9	60	470.0	113	807.4	201	1009.9	96	738.67	138	990.13
15	केरल	9	90.6	9	81.12	37	264.4	38	318.06	19	169.71	19	158.26
16	मध्य प्रदेश	42	294.1	34	236.5	73	525.4	106	687.19	69	654.78	85	653.23
17	महाराष्ट्र	23	156.0	33	237.3	41	307.6	97	639.72	59	333.05	66	525.76
18	मणिपुर	62	420.5	96	669.7	147	900.7	173	973.68	119	816.68	166	115.04
19	मिजोरम	-	-	-	-	4	26.64	2	10.9	2	10.88	2	9.6
20	नागालैंड	-	-	1	5.52	2	8.88	1	6.96	4	12.93	4	13.9
21	ओडिशा	22	107.0	27	152.1	55	289.2	115	515.29	67	343.87	92	501.0
22	पांडिचेरी	2	12.72	-	-	5	50.04	3	32.52	5	65.76	3	47.14
23	पंजाब	3	24.48	5	37.44	6	43.56	10	66.68	8	56.06	6	44.8
24	राजस्थान	2	16.32	9	57.12	17	95.2	32	123.52	16	140.66	16	126.66

25	सिक्किम					1	2.64	3	7.02	-	-	-	-
26	तमिलनाडु	10	49.54	4	17.28	19	108.6	22	143.02	14	90.15	8	66.58
27	तेलंगाना	7	75	9	82.56	17	153.0	19	109.52	17	131.72	19	177.36
28	त्रिपुरा	1	6.36	1	7.68	1	6.24	14	57.12	3	14.46	4	36.06
29	उत्तराखंड	6	20.86	5	23.04	16	80.86	17	65.96	12	76.03	11	79.46
30	उत्तर प्रदेश	33	161.5	26	195.3	57	293.9	107	438.32	70	502.02	61	404.07
31	पश्चिम बंगाल	139	916.3	112	821.7	333	2060.8	418	2288.4	208	1432.2	267	2004.7
	कुल	529	3480.1	573	4248.5	1214	7824.7	1882	10147.6	1041	7704.7	1241	8834.1

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

आरके मिशन सहित राष्ट्रीय महत्त्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (10.12.2025 तक)	
		संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0	0.00	1	22.50	1	7.50	0	0.00	0	0
2	असम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	22.50	2	22.50	1	5.00
3	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	22.50	1	5.00
4	दिल्ली	3	141.25	1	5.99	7	241.25	11	276.25	8	103.75	3	19.77
5	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	26.25	0	0
6	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.00	0	0
7	कर्नाटक	0	0.00	0	0.00	1	22.50	0	0.00	1	4.73	1	22.50
8	केरल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	18.75	2	32.50	0	0
9	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	18.75	0	0
10	मध्य प्रदेश	0	0.00	0	0.00	1	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0
11	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.25	0	0
12	ओडिशा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.75	2	37.50	1	15.00
13	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.00	1	3.75	0	0.00	0	0.00	0	0
14	राजस्थान	1	21.25	1	5.00	1	37.50	1	26.25	2	27.50	0	0
15	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.00	0	0
16	उत्तर प्रदेश	1	45.00	1	12.50	2	93.75	1	22.50	1	7.50	0	0
17	पश्चिम बंगाल (एनपी)	0	0.00	2	6.75	0	0.00	2	37.50	3	31.25	0	0
18	आरके मिशन, पश्चिम बंगाल	1	722.96	1	728.00	1	738.56	1	766.50	1	807.00	1	403.5
	कुल	6	930.46	6	758.24	15	1160.4	22	1216.5	28	1182.98	8	470.77

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (10.12.2025 तक)	
		संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	34	23.06	54	66.67	65	62.85	83	80.7	49	75.79	9	17.50
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0.375	1	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	35	30.12	25	34.66	48	96.21	68	114.1	27	36.59	25	57.64
4	बिहार	51	42.94	67	95.26	123	203.2	126	161	73	122.2	77	165.4
5	चंडीगढ़	7	11.75	4	8.25	1	0.5	3	21.69	1	10	0	0
6	छत्तीसगढ़	6	8.75	6	13.03	3	5.5	4	7.5	3	6.42	5	12.43
7	दिल्ली	144	263.2	119	163.4	167	408.06	204	370.0	106	262.97	56	151.85
8	गोवा	1	0.75	2	3.75	1	0.625	1	1.5	2	2.12	2	6
9	गुजरात	13	18.43	11	19.12	17	23.4	16	12.34	3	3.59	9	17.50
10	हरियाणा	28	43.26	24	42.43	28	62.59	36	74.72	29	89.98	6	27.45
11	हिमाचल प्रदेश	7	4.2	14	21.91	8	11	15	25.75	11	12.92	9	18
12	जम्मू और कश्मीर	32	28.31	41	43.63	52	50.33	49	33.76	30	36.37	26	39.56
13	झारखंड	1	0.5	6	11.37	11	14.26	7	8	10	12.75	6	9.12
14	कर्नाटक	194	205.7	203	284.6	218	349.4	221	208.2	235	494.1	73	176.7
15	केरल	23	37.03	28	57.52	30	48.38	30	40.27	21	65.13	18	67.99
16	मध्य प्रदेश	77	79.78	94	200.12	141	264.9	161	155.17	100	202.89	112	292.29
17	महाराष्ट्र	34	56.27	27	63.63	56	104.1	34	29.64	44	97.31	19	48.41
18	मणिपुर	112	112.6	93	115.04	162	196.1	237	249.25	140	164.8	121	212.69
19	मिजोरम	2	3	2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	3	1.04	2	2.25	5	4.62	4	1.35	2	1	0	0
21	ओडिशा	131	173.8	149	182.9	180	296.8	168	269.71	179	482.88	67	148.55
22	पांडिचेरी	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	7.25
23	पंजाब	5	8.6	13	22.21	12	23.27	11	22.65	9	22	6	21.62
24	राजस्थान	38	28.31	33	63.81	48	81.16	57	46.28	40	61.55	33	93.50
25	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	3.75	3	7	1	3.75
26	तमिलनाडु	27	46.15	21	34.84	15	18.87	11	10.73	16	35.35	5	23.40
27	तेलंगाना	16	19.77	9	13.87	16	16.87	16	9.61	25	51.13	6	18.58

28	त्रिपुरा	4	6.5	5	5.75	16	16.15	23	24.94	10	7.87	7	14.25
29	उत्तराखंड	14	14.36	16	14.78	24	28.11	31	21.91	22	30	14	21.75
30	उत्तर प्रदेश	202	167.1	235	274.5 5	278	343.3	268	244.0 7	218	395.6 6	160	341.4 4
31	पश्चिम बंगाल	229	216.0	310	364.1	410	544.4	357	206.8 6	302	435.6 1	193	407.4 4
	कुल	1471	1651. 9	1615	2330. 35	2135	3275. 21	2242	2455. 51	1710	3225. 98	1068	2422. 14

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (10.12.2025 तक)	
		संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	26	98.25	32	103.50	41	117.95	32	77.00	7	20.01	11	21.00
2	सिक्किम	6	26.50	6	16.50	4	10.00	3	11.00	0	0	1	4.00
3	हिमाचल प्रदेश	26	69.00	37	90.25	42	98.52	40	97.50	2	5.99	7	11.75
4	जम्मू और कश्मीर	14	21.50	43	73.25	69	117.02	24	37.52	0	0	10	11.70
5	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	7	24.50	6	18.00	11	34.00	2	5.50	0	0	-	-
6	उत्तराखंड	49	96.25	79	171.97	58	91.24	48	64.0	2	3.50	18	19.50
7	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.75	-	-
8	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7.11
	कुल	128	336.0	203	473.47	225	468.73	149	292.52	12	31.25	55	75.06

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (10.12.2025 तक)	
		संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	31	271.82	46	394.06	57	518.19	50	392.31	60	416.33	10	73.24
2	आंध्र प्रदेश	3	10.5	7	5.45	2	8	10	9.18	4	9.00	1	1.50
3	असम	6	20.53	7	22.49	9	30	15	72.00	6	24.36	9	37.93
4	बिहार	1	3	2	7.5	2	8.5	2	8.50	2	10.48	-	-
5	चंडीगढ़ (यूटी)	4	23.5	10	69.5	7	49.5	4	40.00	15	120.16	2	16.46
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	30	4	31.76	6	44.47	2	9.45	7	44.27	1	10.50
7	हिमाचल प्रदेश	63	335.65	81	375.52	78	550.97	31	167.63	49	317.38	77	290.89
8	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	1	7.5	1	7.5	6	23.5	4	20.00	5	33.50	2	21.00
9	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	57	271.57	89	523.06	45	319.62	44	246.42	6	26.94	110	336.75
10	कर्नाटक	27	204.02	38	212.59	33	272.8	11	62.78	49	333.82	14	85.00
11	केरल	0	0	0	0	1	13.5	0	0	0	0	-	-
12	मिजोरम	1	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	5	29	4	30.00	1	5.00	-	-
14	महाराष्ट्र	4	20	3	15	11	38.25	14	41.00	14	57.45	2	9.25
15	मणिपुर	8	15.95	0	0	2	5.5	3	9.50	1	3.00	-	-
16	ओडिशा	0	0	0	0	1	5	2	12.00	2	11.00	-	-
17	पंजाब	0	0	0	0	2	8.5	2	10.00			-	-
18	सिक्किम	1	9.04	2	37.5	0	0	12	89.93	5	39.99	1	10.00
19	त्रिपुरा	5	39.5	10	82.91	7	37.5	7	41.5	17	97.20	-	-
20	तमिलनाडु	1	5	1	5	0	0	2	10.00	0	0	-	-
21	तेलंगाना	1	15	0	0	2	22.5	3	30.00	0	0	1	12.50
22	उत्तराखंड	18	168.13	34	310.8	26	252.42	5	35.50	38	354.97	7	61.47
23	उत्तर प्रदेश	12	50.53	19	110.31	27	195.28	11	44.15	34	236.27	9	70.89
24	पश्चिम बंगाल	29	99.25	12	40.22	72	168.00	92	175.51	70	82.75	61	34.26
	कुल	276	1607.9	366	2251.1	401	2601	330	1557.36	385	2223.87	307	1071.33

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (10.12.2025 तक)	
		संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	असम	2	15.4	2	10.3	1	5.4	0	0	0	0	0	0
3	बिहार	0	0	0	0	1	0.6	1	6	0	0	1	6.00
4	छत्तीसगढ़	1	7.5	0	0	1	7.5	0	0	0	0	0	0
5	दिल्ली	1	6.6	1	10.25	0	0	2	11.2	3	23.25	1	1.25
6	हिमाचल प्रदेश	1	7.5	3	20.82	1	12.79	1	6	2	20	0	0
7	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0
8	कर्नाटक	2	14	6	49.8	3	26.4	1	25	0	0	0	0
9	केरल	0	0	0	0	1	1.4	0	0	0	0	0	0
10	मध्य प्रदेश	2	7.26	1	4	1	3	0	0	4	16.86	0	0
11	महाराष्ट्र	1	8.8	2	5.4	0	0	2	8	2	25	0	0
12	मणिपुर	6	31.1	2	11.93	4	15.98	6	35.23	2	3.88	2	12.50
13	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5	0	0
14	नागालैंड	3	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ओडिशा	4	12.73	1	4	0	0	0	0	2	21.5	0	0
16	पंजाब	0	0	1	1.2	0	0	1	2	1	0.9	0	0
17	राजस्थान	1	10	0	0	1	7.5	0	0	0	0	1	7.5
18	तेलंगाना	1	2.86	0	0	1	4.29	0	0	0	0	0	0
19	उत्तराखंड	1	5.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	पश्चिम बंगाल	2	22.2	3	15.35	5	34.61	1	15	4	24.2	0	0
	कुल	29	193.46	22	133.05	20	119.47	15	108.43	23	150.09	5	27.25

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलाप हेतु वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-2025	
		संगठनों /राज्य सरकार की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1.	उत्तर प्रदेश	2	120

टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2020-2021		2021-2022		2022-2023*		2023-2024*		2024-2025*	
		संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों की संख्या	संवितरित राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण के लिए प्राधिकृत राशि
1.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300
2.	कर्नाटक	0	0	1	254.7	0	0	0	0	0	0
3.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	1131.52	0	0
4.	मेघालय	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0
5.	राजस्थान	0	0	1	94.5	0	0	1	54.91	0	0
6.	तमिलनाडु	1	596.43	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	369.57	0	0
कुल		1	596.43	2	349.2	1	500.00	4	1556	1	300

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, संबंधित सीएनए को 369.57 लाख रुपये की राशि जारी की गई। 369.57 लाख रुपये की कुल जारी राशि में से 337.11 लाख रुपये की धनराशि 01 संगठन को अधिकृत की गई है।

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24		2024-25		2025-2026 (10.12.2025 तक)	
		अध्येताओं की सं.	संवितरित राशि	अध्येताओं की सं.	संवितरित राशि	अध्येताओं की सं.	संवितरित राशि	अध्येताओं की सं.	संवितरित राशि	अध्येताओं की सं.	संवितरित राशि	अध्येताओं की सं.	संवितरित राशि
1	आंध्र प्रदेश	12	9.60	10	13.20	12	17.40	12	11.40	08	14.40	7	6.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1	2.40	01	2.40	-	-	02	1.20	02	1.20	1	1.20
3	असम	43	37.20	51	75.60	50	58.80	70	69.60	70	84.00	32	31.20
4	बिहार	29	27.60	23	32.40	31	48.00	47	44.40	35	43.80	29	25.20
5	चंडीगढ़	2	1.20	-	-	03	3.60	-	-	01	2.40	-	-
6	छत्तीसगढ़	16	14.40	22	30.00	08	11.40	12	12.00	12	12.60	7	6.00
7	दिल्ली	121	117.60	113	200.80	116	178.20	101	100.80	77	100.20	80	75.60
8	गोवा	4	4.20	06	12.00	01	2.40	-	-	-	-	1	1.20
9	गुजरात	20	18.60	22	37.20	18	27.00	23	21.60	14	19.20	15	13.20
10	हरियाणा	28	24.00	18	33.60	27	40.20	27	30.00	23	33.00	16	17.40
11	हिमाचल प्रदेश	2	2.40	02	2.40	07	7.20	04	3.00	04	5.40	02	1.80
12	जम्मू और कश्मीर	6	4.80	07	13.20	14	19.80	13	10.20	13	11.40	9	7.20
13	झारखंड	24	22.20	23	44.40	15	17.40	24	30.60	15	24.00	9	8.40
14	कर्नाटक	62	55.20	62	100.80	43	61.20	57	64.80	33	48.60	28	24.00
15	केरल	57	52.20	43	68.40	62	85.20	60	54.00	54	73.80	33	25.80
16	मध्य प्रदेश	67	64.20	67	104.40	62	93.00	82	76.20	59	70.20	52	50.40
17	महाराष्ट्र	82	66.00	75	121.80	84	118.80	85	84.00	52	78.60	54	45.60
18	मणिपुर	33	31.20	58	102.20	33	37.20	62	60.00	64	70.20	22	18.60
19	मेघालय	-	-	01	2.40	2	1.20	-	-	01	1.20	1	1.20
20	नागालैंड	2	1.20	03	4.80	02	1.80	03	3.00	03	3.60	1	0.60
21	ओडिशा	91	85.20	108	171.40	89	129.60	90	93.60	83	105.60	60	55.80
22	पांडिचेरी	4	3.60	04	7.20	04	7.20	02	1.80	02	3.00	1	0.60
23	पंजाब	8	5.40	08	12.00	06	7.20	11	10.20	06	9.00	10	9.00
24	राजस्थान	28	27.60	35	63.20	27	39.60	34	33.00	28	33.00	18	18.00
25	तमिलनाडु	15	13.80	22	45.60	19	24.60	15	15.00	15	23.40	12	11.40
26	तेलंगाना	25	21.60	17	27.60	22	27.00	28	28.80	21	24.60	10	10.20
27	त्रिपुरा	4	2.40	06	8.40	03	3.60	06	7.80	05	6.60	5	4.20
28	उत्तराखंड	15	12.60	10	14.40	13	21.00	13	12.60	10	13.20	4	2.40
29	उत्तर प्रदेश	114	100.80	103	167.20	120	154.80	158	146.40	116	157.20	79	73.20
30	पश्चिम बंगाल	67	59.40	81	115.00	87	118.20	100	93.00	102	116.40	35	28.80
कुल		982	888.60	1001	1634.0	980	1362.6	1141	1119.00	928	1189.8	633	574.2

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम (एसवाईए)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24		2024-25		2025-2026 (10.12.2025 तक)	
		विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)
1	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	03	0.90	-	-	1	0.30
2	आंध्र प्रदेश	21	6.30	20	6.00	03	0.90	09	2.70	06	1.80	7	2.10
3	अरुणाचल प्रदेश	8	2.40	08	2.40	01	0.30	05	1.50	03	0.90	3	0.90
4	असम	59	17.70	56	16.80	28	8.40	89	26.70	58	17.40	49	14.70
5	बिहार	45	13.50	43	12.90	16	4.80	63	18.90	43	12.90	39	11.70
6	चंडीगढ़	2	0.60	03	0.90	03	0.90	09	2.70	07	2.10	7	2.10
7	छत्तीसगढ़	35	10.50	35	10.50	10	3.00	50	15.00	38	11.70	35	10.50
8	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	58	17.40	72	24.00	21	6.30	73	21.90	53	16.20	59	18.00
9	गोवा	4	1.20	04	1.20	02	0.60	06	1.80	04	1.20	1	0.30
10	गुजरात	25	7.50	26	7.80	05	1.50	23	6.90	19	5.70	16	4.80
11	हरियाणा	30	9.00	22	6.60	05	1.50	25	7.50	18	5.40	20	6.00
12	हिमाचल प्रदेश	8	2.40	04	1.20	-	-	04	1.20	03	0.90	4	1.20
13	जम्मू और कश्मीर	20	6.00	16	4.80	01	0.30	09	2.70	08	2.40	12	3.60
14	झारखंड	13	3.90	17	5.10	08	2.40	24	7.20	17	5.10	15	4.50
15	कर्नाटक	105	31.50	80	24.00	30	9.00	97	29.10	63	18.90	56	17.10
16	केरल	91	27.30	74	22.20	20	6.00	71	21.30	48	14.40	54	16.50
17	मध्य प्रदेश	120	36.00	128	38.40	27	8.10	131	39.30	104	31.80	100	30.30
18	महाराष्ट्र	130	39.00	132	39.60	40	12.00	127	38.10	81	24.30	94	28.80
19	मणिपुर	30	9.00	30	9.00	08	2.40	39	11.70	29	8.70	32	9.60
20	मिजोरम	1	0.30	01	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ओडिशा	72	21.60	75	22.50	25	7.50	97	29.10	71	21.60	91	27.90
22	पांडिचेरी	2	0.60	02	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
23	पंजाब	16	4.80	14	4.20	04	1.20	11	3.30	05	1.50	3	0.90
24	राजस्थान	20	6.00	21	6.30	10	3.00	37	11.10	25	7.50	19	6.00
25	सिक्किम	1	0.30	02	0.60	01	0.30	03	0.90	02	0.60	2	0.60
26	तमिलनाडु	26	7.80	37	11.10	18	5.40	51	15.30	32	9.90	23	6.90
27	तेलंगाना	13	3.90	12	3.60	03	0.90	13	3.90	08	2.40	11	3.30
28	त्रिपुरा	3	0.90	03	0.90	02	0.60	10	3.00	06	1.80	4	1.20
29	उत्तराखंड	12	3.60	08	2.40	03	0.90	16	4.80	10	3.00	9	2.70
30	उत्तर प्रदेश	134	40.20	153	45.90	35	10.50	134	40.20	97	29.70	99	30.30
31	पश्चिम बंगाल	161	48.30	195	58.50	67	20.10	278	83.70	219	65.70	214	64.20
कुल		1265	379.50	1293	390.30	396	118.80	1507	452.40	1077	325.5	1079	327

सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टीएनएफसीआर)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-25	
		लाभार्थियों की सं.	राशि (रु.)	लाभार्थियों की सं.	राशि (रु.)	लाभार्थियों की सं.	राशि (रु.)	लाभार्थियों की सं.	राशि (रु.)	लाभार्थियों की सं.	राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	02	13.50	01	3.00
2.	चंडीगढ़	-	-	01	6.00	-	-	-	-	01	3.00
3.	दिल्ली	01	4.80	1	2.65	-	-	-	-	03	12.60
4.	महाराष्ट्र	01	3.60	04	30.10	-	-	01	3.60	10	67.11
5.	तमिलनाडु	02	9.05	-	-	-	-	-	-	01	3.00
6.	तेलंगाना	03	10.80	1	13.50	-	-	03	18.00	03	16.80
कुल		07	28.25	07	52.25	-	-	06	35.10	19	105.51

वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (10.12.2025 तक)	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)
1	आंध्र प्रदेश	29	5.1	89	72.29	148	84.66	191	153.30	177	115.9	163	92
2	असम	2	0.96	1	0.48	1	1.57	3	2.41	2	0.9	3	4.11
3	बिहार	-	-	-	-	-	-	14	15.47	7	4.62	3	3.12
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	8	5.87	10	4.92	10	7.73
5	हरियाणा	-	-	1	0.93	2	0.56	4	3.69	4	1.94	3	1.79
6	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	41	7.12	43	15.44
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.3	1	0.60
8	झारखंड	8	2.28	5	3.00	7	3.59	4	3.88	3	2.76	2	1.44
9	कर्नाटक	144	29.97	146	59.55	130	64.32	344	341.98	397	354.67	304	252.61
10	केरल	24	8.18	57	24.49	51	25.3	67	64.21	80	85.82	71	77.43
11	मध्य प्रदेश	6	2.44	12	5.04	6	3.86	7	6.95	13	14.95	13	22.31
12	महाराष्ट्र	206	106.61	448	190.49	740	273.49	1239	795.97	1392	541.19	1178	438.87
13	मणिपुर	9	3.36	16	7.84	5	0.6	13	14.7	14	14.94	19	19.52
14	नागालैंड	1	0.48	2	0.92	1	0.12	2	3.28	2	1.08	1	0.72
15	ओडिशा	355	119.46	828	276.95	966	306.77	1460	1063.4	1995	1106.51	1590	966.50
16	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.30	1	0.60
17	राजस्थान	2	0.07	2	1.23	2	0.71	2	1.36	2	2.52	1	0.72
18	तमिलनाडु	6	0.87	22	15.49	21	14.6	41	46.96	34	36.61	37	34.50
19	तेलंगाना	86	53.2	342	217.29	489	268.16	293	274.94	309	207.07	292	207.31
20	त्रिपुरा	1	0.24	2	0.92	1	0.12	-	-	0	0	0	0
21	उत्तर प्रदेश	9	5.12	46	13.08	58	15.46	82	67.24	109	80.46	90	65.54
22	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	2	2.43	4	4.83	2	1.38
23	पश्चिम बंगाल	37	5.09	32	12.31	27	11.71	35	28.53	39	20.37	39	28.86
	कुल	925	343.46	2051	902.3	2655	1075.6	3811	2896.57	4636	2609.78	3866	2243.1
	एलआईसी	1075	527.85	978	639.87	996	783.58						
	कुल योग	2000	871.31	3029	1542.17	3651	1859.18	3811	2896.57				

* वर्ष 2023-24 से, एलआईसी के माध्यम से वित्तीय सहायता का संवितरण बंद कर दिया गया है और इसे सीधे संस्कृति मंत्रालय द्वारा केनरा बैंक (इस स्कीम हेतु संवितरण एजेंसी) के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

सेवा भोज योजना

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20 20 -202 1		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1.	पंजाब	03	169	03	154	03	143	02	146	03	145.55
